

जनपद बाराबंकी

दिनांक 17.11.2020

जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना रामसनेहीघाट का टॉप टेन/मजारिया दुराचारी जय प्रकाश पाठक उर्फ किन्नी के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अपराध से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क किया गया-

थाना रामसनेहीघाट का टॉप टेन/मजारिया दुराचारी जय प्रकाश पाठक उर्फ किन्नी पुत्र मथुरा प्रसाद पाठक निवासी कोटवा सड़क थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-1049/2009 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था । शातिर अपराधी जय प्रकाश पाठक उर्फ किन्नी जघन्य अपराधों को कारित करने का अभ्यस्थ अपराधी है । इसके विरुद्ध मु0अ0सं0-191/02 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0सं0-242/02 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0सं0-28/05 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि, मु0अ0सं0-381/05 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0सं0-700/09 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हैं । जय प्रकाश पाठक द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों पर नियन्त्रण हेतु मु0अ0सं0-1049/2009 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया परन्तु अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पुनः अपने सहयोगियों के साथ गैंग बनाकर आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित आर्थिक व भौतिक लाभ लिया जाता रहा है एवं आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन को अपने व अपने गिरोह से सदस्यों के मध्य खर्च किया जाता है । इसके सम्बन्ध में उपरोक्त मुकदमें के उपरांत थाना मसौली में मु0अ0सं0-169/18 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ है और इसी दौरान वर्ष 12-13 में अपराध से अर्जित सम्पत्ति से अपना मकान बनवाया जबकि इसके पास आय का कोई अन्य जरिया नहीं है । उपरोक्त मकान की कीमत लगभग-30,00,000/- (तीस लाख रुपये) है, को गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तहसीलदार रामसनेहीघाट बाराबंकी और बाराबंकी पुलिस को आदेशित किया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक 17-11-2020 को तहसीलदार रामसनेहीघाट व क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट के साथ प्रभारी निरीक्षक रामसनेहीघाट मय पुलिस बल द्वारा कुर्की की कार्यवाही की गयी तथा उक्त मकान के बाहर दिवाल पर नोटिस बोर्ड लगवाया गया ।